

न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर एवं पदेन भू-अभिलेख निदेशक
पीठासीन अधिकारी : डॉ० राजेश शर्मा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 240 / 2021

<u>अपीलान्त</u>	बनाम	<u>रेस्पोडेन्ट्स</u>
1. भंवरलाल पुत्र भोमाराम निवासी-पदमगढ तहसील शेरगढ, जोधपुर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, शेरगढ जिला जोधपुर 2. उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरुद्ध आदेश
क्रमांक राजस्व/प्र.गा.सं.अ./2021/248 दिनांक 21.10.2021 उपखण्ड
अधिकारी शेरगढ के द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति:---

1. श्री ए.आर. बेनीवाल, अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।

निर्णय

दिनांक: दिसम्बर, 2021

1. अपीलान्त ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ के द्वारा पारित आदेश क्रमांक राजस्व/प्र.गा.सं.अ./2021/248 दिनांक 21.10.2021 के विरुद्ध यह प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.11.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलान्त के अधिवक्ता को अपील पर सुना गया।
2. दौरान सुनवाई अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि अपीलान्त की सहखातेदारी का एक खेत खसरा संख्या 793 रकबा 131.00 बीघा ग्राम पदमगढ तहसील शेरगढ में आया हुआ है। उक्त विवादित खसरान भूमि में आज से पूर्व किसी भी प्रकार का कोई कदीमी रास्ता नहीं चलता था और न ही किसी प्रकार की कोई आवश्यकता रही है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना किसी आधार के ही अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए खसरा भूमि में से 2.14 बीघा को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने के आदेश जारी किये गये है, जो निरस्त करने योग्य है।

3. अपीलान्त अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस अभियान में खातेदार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उनकी खातेदारी भूमि में से रास्ता दर्ज करने के आलौच्य आदेश पारित किये गये हैं जिससे अपीलान्त व्यथित पक्षकार है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा हम खातेदारान की उपस्थिती में उनकी सहमति से मौके पर रास्ते की मौजूदगी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु मौका निरीक्षण करना चाहिये था तत्पश्चात ही यथोचित आदेश पारित करना चाहिये था। अपीलाधीन आदेश अनाधिकारपूर्ण होने से निरस्त करने योग्य है तथा अपीलान्त की अपील को स्वीकार किया जावे।
4. अपीलान्त के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि नये रास्ते घोषित करने के मामलों में विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि मौके पर पूर्व में कोई चालू सनातन, कदीमी एवं स्थाई रास्ता है तो उस रास्ते को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने से पूर्व नियमों के अधीन कार्यवाही निर्धारित करते हुए एवं प्रभावित खातेदार को उनकी खातेदारी भूमि लिये जाने से पूर्व उसकी जानकारी दिये जाने एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने के उपरान्त ही आलौच्य प्रकार के आदेश जारी करने की कार्यवाही करनी चाहिये थी।
5. हमने पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्त ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति उठाई है कि वे आदेश में वर्णित ख0सं0 793 रकबा 131.00 बीघा भूमि को रास्ता घोषित किये जाने राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाने से पूर्व उनकी सहमति नहीं ली गई और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का अवसर दिया है।
6. किसी खातेदार की खातेदारी भूमि को किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग आने पर यानि आवागमन के रास्ते के रूप में उपयोग आने पर उसे अधिकृत रूप से रास्ता घोषित किये जाने एवं राजस्व रेकर्ड नक्शा लठठा ट्रेस में उक्त प्रकार से तरमीम किये जाने का आदेश दिये जाने से पूर्व उनकी मौखिक एवं लिखित सहमति लिया जाना एवं उसका पक्ष जानने/सुनवाई का अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के तहत

एवं कानून आवश्यक होता है। इस स्थिति में प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के दृष्टिगत हमारी विनम्र राय में प्रकरण में अंकित खसरान भूमि के सभी प्रभावित पक्षों की उपस्थिति तथा समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात यदि अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

7. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण में रकबा भूमि के खातेदारान/पक्षकारान को अपना-2 पक्ष प्रस्तुत करने एवं उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त यदि अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से 01 माह की अवधि में यथोचित आदेश पारित करें। साथ ही रिमाण्ड प्रकरण में अन्तिम निर्णय होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। निर्णय आज दिनांक दिसम्बर, 2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर